"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न"पर के.मा.शि.सं., मुंबई में 17 और 18 दिसंबर, 2020 को कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना - उन्नत कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (NAHEP-CAAST), भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., के तत्वावधान में, मुंबई में 17 और 18 दिसंबर, 2020 "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया गया एवं कार्यशाला की कार्यक्रम निदेशक डॉ. गायत्री त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यशाला का संक्षिप्त परिचय दिया, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न पर भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., मुंबई के कर्मचारियों और छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना था।

डॉ. गोपाल कृष्णा, निदेशक / कुलपति और PI-NAHEP, भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय में ऐसी कार्यशालाओं के महत्व पर बात की। उन्होंने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम में कर्मचारियों की मदद के लिए इस तरह की कार्यशालाओं का संचालन करने पर बल दिया और कानून का पालन करने के लिए नियमित रूप से कानूनी अपडेट और सहायता को अवश्यकता बताया। डॉ. मेघा बेडेकर, कार्यक्रम संयोजक और चेयरपर्सन, डब्ल्यू. सी. सी., भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., ने दोनों सम्मानित वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय दिया। सुश्री शिवांगी प्रसाद, अधिवक्ता और PoSH At Work की सह-संस्थापक, इस कार्यक्रम में आमंत्रित मुख्य वक्ता थीं। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) पर बात की।

वह भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., की महिला उत्पीड़न समिति के लिए एक बाहय सदस्य और कानूनी सलाहकार भी हैं। एक अन्य वक्ता सुश्री प्रेरणा सराफ, अधिवक्ता और PoSH At Work से जुड़ी रही हैं। दोनों वक्ताओं ने कानून के तहत समानता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिभागियों को संबोधित किया, भेदभाव पर रोक और जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अत्यावश्यक विषयों पर वक्ताओं ने लगातार दो दिनों तक ऑनलाइन सत्र आयोजित किया- पहला सत्र भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., के वैज्ञानिक, प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों के लिए 17.12.2020 को और दूसरा विशेष रूप से भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., के छात्रों के लिए 18.12.2020 को आयोजित किया गया। दोनों सत्र उत्पीड़न की घटनाओं, इसके प्रभावों और परिणामों को समझने की दिशा में उन्मुख थे। पॉश (POSH) अधिनियम को सभी को एक सुरक्षित, और सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए व्यापक कानून के रूप में लागू किया गया। उन्होंने अधिनियम की शक्ति के बारे में

बताया कि यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिला के मौलिक अधिकार के उल्लंघन है ।

उन्होंने बताया कि यदि कोई कार्यस्थल पर उत्पीड़न का शिकार है; उसे किन प्रक्रियाओं का पालन करना है, कैसे शिकायत दर्ज करनी है, संस्थान के स्तर पर किस प्रक्रिया का पालन करना है और आईपीसी 1860 के दायरे के अंतर्गत प्रावधान है । संस्थान समिति (आईसी) के लिए उत्पीड़न हेतु मामलों में संबंध में दिशानिर्देश पर भी चर्चा की गई। दोनों सत्रों में कर्मचारियों (कुल प्रतिभागियों की संख्या: 68) और छात्रों (दोनों प्रतिभागियों की कुल संख्या: 100) रही दोनों दिन स्वस्थ चर्चा के साथ बहुत सक्रिय भागीदारी देखी गई। डॉ. मुजाहिदखान पठान, वैज्ञानिक और सदस्य डब्ल्यूसीसी और सुश्री भारती रथिनम, पीएचडी स्कॉलर, भा.कृ.अनु.प.-के.मा.शि.सं., मुंबई द्वारा छात्रों के सत्र का समन्वय किया गया था। कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिए अत्यधिक जानकारीपूर्ण थी। कार्यक्रम संयोजक डॉ. मेघा बेडेकर ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सत्र का समापन किया।